

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
**Mine code 38HPR10004**

स्पीड पोस्ट

संख्या : एचपी/एसआरएम/एलएसटी-4

100 ओल्ड नेहरू कालोनी,  
देहरादून (उत्तराखंड)  
दिनांक : 29.02.2016

सेवा में : मैसर्स जे.एस.ठाकुर एंड संस  
द्वारा श्री आर.पी.तिवाड़ी  
देवी नगर, पांवटा साहिब  
सिरमौर (हि.प्र.)

विषय : हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित आपकी बलधवा चूनापत्थर खान पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

इस कार्यालय के श्री एस0 सकलानी, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा श्री ए0 के0 छाबड़ा, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में दिनांक 01.02.2016 को आपकी उपरोक्त वर्णित खान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया:-

**RULE NO. NATURE OF VIOLATION OBSERVED**

**13(1):** Mining operations were being carried out in violation of following provisions of scheme of mining approved vide letter no. 614(2)/MSB-3/95-DDN dated 19.03.2012.

(i) As per proposal made on page 45 of approved scheme of mining, benches have not been proportionately developed.

02. In this connection, it is brought to your notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 58 of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

03. The mining operations can be suspended under Rule 13(2), if compliance of rule 13(1) is not found satisfactory.

04. You are advised to rectify the above violations immediately and intimate the position to this office within 45(Forty Five) days from the date of issue of this letter.

भवदीय,

(डी0 आर0 गुर्जर)  
सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि -

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2. राज्य भूवैज्ञानिक उद्योग विभाग, उद्योग भवन, शिमला, (हि0 प्र0)

पत्र प्रेषित किया  
दि 0.21.03.16. Rakesh

सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो